एग्री आर्टिकल्स
(कृषि लेखों के लिए ई-पत्रिका)
वर्ष: 02, अंक: 03 (मई-जून, 2022)
www.agriarticles.com पर ऑनलाइन उपलब्ध
© एग्री आर्टिकल्स, आई. एस. एस. एन.: 2582-9882

राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना

(*प्रमोद, अनिल कुल्हैरी एवं अनिता)
श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (राजस्थान)
* pramod.ext97@gmail.com

राजस्थान सरकार ने राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना को शुरू किया है । इस योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2021 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा वित्तीय वर्ष का बजट की शुरुआत करते समय की गई है। राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना द्वारा अगर कृषि गतिविधियों के चलते हुए किसानों की मृत्यु हो जाती है या उन्हें किसी स्थायी या आशिक विकलांगता का सामना करना पड़ता है तो उन्हें ऐसे में आर्थिक मदद दी जाती है । यह आर्थिक मदद 5 हजार रुपये से लेकर 2 लाख रुपये धनराशि तक की होगी ।

योजना का नाम	राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना
किस ने लांच की	राजस्थान सरकार
लाभार्थी	राजस्थान के किसान
उद्देश्य	दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता
आर्थिक सहायता	5 हजार रु . से लेकर 2 लाख रु . तक

राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि गतिविधियों के चलते हुए होने वाली दुर्घटनाओं के कारण किसानों को आर्थिक मदद देना है । इस योजना के तहत से अगर किसान कृषि गतिविधियों के कारण किसी तरह की दुर्घटना से गुजरते हैं तो उन्हें सरकार द्वारा 5 हजार रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक की धनराशि आर्थिक मदद के रूप में दी जाएगी । जिससे वह अपना इलाज करा पाए राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत से राजस्थान के किसान सशक्त व आत्मनिर्भर बनेंगे और दुर्घटना की वजह से होने वाली आर्थिक समस्याओं से भी लड़ने में उन्हें सहायता मिलेगी ।

राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लाभ

• राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना को शुरू किया गया है । • इस योजना को शुरू करने की घोषणा 24 फरवरी 2021 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा की गई है । • राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत से अगर किसान गतिविधियों के चलते हुए किसानों की मृत्यु हो जाती है या उनको किसी तरह की विकलांगता का सामना करना पड़ता है तो उन्हें आर्थिक मदद दी जाती है ।• यह आर्थिक मदद 5 हजार रुपये से लेकर 2 लाख रुपये राशि तक है ।• अगर नागरिक की मृत्यु हो जाती है तो आवेदन किसान का उत्तराधिकारी होगा या अगर किसान विकलांग हो जाता है तो आवेदक स्वयं विकलांग किसान होगा ।

राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की पात्रता

● इस योजना का लाभ लेने के लिए स्थायी विकलांग नागरिक पंजीकरण किसान होना आवश्यक है ।• अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो लाभ लेने वाला नागरिक पंजीकृत किसान का लड़का या लड़की या फिर पत्नी या पति होना चाहिए ।● राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का

लाभ लेने के लिए मृत या स्थायी विकलांग नागरिक की उम्र 5 से 70 साल के बीच होनी चाहिए ।● इस योजना का लाभ लेने के लिए मृत्यु या स्थायी विकलांगता दुर्घटना की वजह से होनी चाहिए । • आत्महत्या या फिर प्राकृतिक मौत इस योजना के तहत शामिल नहीं है ।● उम्मीदवार को दुर्घटना के 6 माह के अंदर संबंधित जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय में पंजीकरण करना होगा ।

राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के जरूरी दस्तावेज

• राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के माध्यम से पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत है ।● निर्धारित प्रपत्र में आवेदन● एफ आई आर एवं सपोर्ट पंचनामा पुलिस पूछताछ रिपोर्ट• मृत्यु की स्थिति में पोस्टमार्टम रिपोर्ट या मृत्यु प्रमाण पत्र ● आयु का प्रमाण● सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की केस स्वीकृति रिपोर्ट • स्थायी विकलांगता के मामले में मेडिकल बोर्ड ६ सिविल सर्जन का विकलांगता प्रमाण पत्र और विकलांगता की तस्वीर ● क्षतिपूर्ति बांड हेयर डिटेल रिपोर्ट ● बीमा निदेशक द्वारा पूछे गए अन्य प्रमाण

राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया

अगर आप राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के द्वारा पंजीकरण करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित प्रक्रिया को फॉलो करना होगा • सबसे पहले आपको अपने जिले के कृषि विभाग में जाना होगा । इसके बाद आपको वहां से राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का पंजीकरण पत्र देना होगा । • अब आपको पंजीकरण पत्र में पूछी गई सभी जानकारी जैसे कि आपका नाम एड्रेस मोबाइल नंबर आदि भरना होगा । • इसके बाद आपको पंजीकरण पत्र से सभी जरूरी दस्तावेज अटैच करना होगा । ● अब आपको यह पंजीकरण पत्र कृषि विभाग में जमा करना होगा । इसके बाद आपके द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा । ● अब आपको इस योजना के लाभ की राशि आपके के अकाउंट में भेज दी जाएगी ।

किन परिस्थितियों में मिलेगी सहायता राशि

• यदि किसान खेत में काम कर रहे हो और उन्हें सांप , बिच्छू ने काट लिया हो और उससे उनकी मृत्यु हो गयी हो ।• खेतों में सिंचाई करते वक्त या कुवै खोदने से अगर मर जाते है तो उन्हें लेकर 2 लाख रुपये तक की राशि दी जाएगी ।कृषि यंत्रो और बड़ी बड़ी मशीन का उपयोग करते समय मौत हो जाएं ।● टूबवेल बनाते समाय या खेत में बिजली द्वारा करंट लगने की परिस्थिति में वित्तीय राशि दी जाएगी । यदि अपने अनाज की भरी बोरियों को ले जाते समय किसी प्रकार की दुर्घटना या हादसा हो जाएं । • यदि खेतो में काम कर रहे किसान के ऊपर आसमान से बिजली गिर जाए और वह मर जाएं ऐसी स्थिति में वित्तीय राशि उनके परिवार को प्रदान की जाएगी ।

E-Magazine for Agricultural Articles (www.agriarticles.com)